जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.05.2026 को अपरान्ह् 04:00 बजे नारकोटिक्स (NCORD) से संबंधित बैठक

चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग **/8322/** लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन **(Codeine),** ऐल्प्रक्स **(alprax)** आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरूद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक **"युद्ध नशे के विरूद्ध"** विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरूप्योग के विरूद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.)** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा "प्रहरी" नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविधालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरूपयोग के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

बिन्दु संख्या–1

मादक पदार्थों की तस्करी के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यगणों से व्यापक विचार–विमर्श किया गया निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर, सघनता से रोड चैंकिग की जाये। अवैध मादक पदार्थो के सम्बन्ध प्रभावी मुखबिरी तन्त्र विकसित करते हुए प्राप्त सूचना से पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को तुरन्त अवगत करायें, जिससे तत्काल नारकोटिक्स ड्रग्स/मादक पदार्थों आदि की तस्करी में संलिप्त सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही पुलिस विभाग/आबकारी विभाग/औषधि निरीक्षक/राज्य व्यापार (GST))

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–1

पुलिस विभाग

दिनांक: 15.05.2026 को ऑपरेशन दहन’ के तहत नशे के विरुद्ध सम्भल पुलिस ने जनपद के 04 थानों पर पंजीकृत 15 अभियोगो में बरामद 91.280 किलोग्राम कुल (अनुमानित मूल्य 9372500 ₹) से अधिक मादक पदार्थों का किया विनिष्टीकरण सम्भल |

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में, नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने हेतु जनपद सम्भल में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन दहन' के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण कार्यवाही संपन्न हुई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल महोदय श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में, जनपद के विभिन्न थानों द्वारा जब्त किए गए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को आज विधिवत नष्ट किया गया। जनपद के थाना बहजोई, चन्दौसी, नखासा, धनारी से संबंधित कुल 15 अभियोगों में न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किए गए 91.280 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य 9372500 ₹)अवैध मादक पदार्थों (डोडा, स्मैक आदि) का विनिष्टीकरण किया गया।विषाक्त पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण हेतु निर्धारित मानकों का पालन करते हुए यह कार्यवाही पुनः चक्रण प्राइवेट लिमिटेड बबराला जनपद सम्भल में संपन्न हुई। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले 'इंसीनरेटर' के माध्यम से इन पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया।

संपूर्ण विनिष्टीकरण प्रक्रिया श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) सम्भल श्री मनोज कुमार रावत की उपस्थिति एवं गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में यह कार्यवाही पारदर्शी तरीके से फोटो एवं विडियोग्राफी कराकर पूर्ण कराई गई। प्रभारी नार्कोटिक निरीक्षक कश्मीर सिंह यादव, का0 मृगनेन्द्र प्रताप सिंह, तथा सम्बन्धित थानों के हेडमोहर्रिर की उपस्थिति रहे । 'ऑपरेशन दहन' के माध्यम से सम्भल पुलिस यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि जनपद में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को किसी भी कीमत पर फलने-फूलने नहीं दिया जाएगा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत भविष्य में भी इस प्रकार की निस्तारण कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

दिनांक: 22.04.2026 को ‘ऑपरेशन दहन’ के तहत नशे के विरुद्ध सम्भल पुलिस ने जनपद के 08 थानों पर पंजीकृत 24 अभियोगो में बरामद 42 किलोग्राम कुल (अनुमानित मूल्य 8628000₹) से अधिक मादक पदार्थों का किया विनिष्टीकरणसम्भल|
***

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में, नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने हेतु जनपद सम्भल में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन दहन' के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण कार्यवाही संपन्न हुई। श्री कृष्ण कुमार विश्नोई पुलिस अधीक्षक सम्भल के कुशल निर्देशन में, जनपद के विभिन्न थानों द्वारा जब्त किए गए भारी मात्रा में मादक पदार्थों को आज विधिवत नष्ट किया गया। जनपद के थाना सम्भल, चन्दौसी, नखासा, कुढफतेहगढ, हयातनगर, रजपुरा, ऐंचौडा कम्बोह,असमोली से संबंधित कुल 24 अभियोगों में न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किए गए 42 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य 8628000₹)अवैध मादक पदार्थों (डोडा,हेरोईन,स्मैक,चरस,आदि) का विनिष्टीकरण किया गया।विषाक्त पदार्थों के सुरक्षित निस्तारण हेतु निर्धारित मानकों का पालन करते हुए यह कार्यवाही पुनः चक्रण प्राइवेट लिमिटेड बबराला जनपद सम्भल में संपन्न हुई। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले 'इंसीनरेटर' के माध्यम से इन पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया।संपूर्ण विनिष्टीकरण प्रक्रिया अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी),की उपस्थिति एवं गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में यह कार्यवाही पारदर्शी तरीके से फोटो एवं विडियोग्राफी कराकर पूर्ण कराई गई। प्रभारी नार्कोटिक निरीक्षक कश्मीर सिंह यादव ,हे0का0 योगेन्द्र कुमार का0 मृगनेन्द्र प्रताप सिंह, का0 रवि सहरावत तथा सम्बन्धित थानों के हेडमोहर्रिर की उपस्थिति रहे । 'ऑपरेशन दहन' के माध्यम से सम्भल पुलिस यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि जनपद में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को किसी भी कीमत पर फलने-फूलने नहीं दिया जाएगा। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत भविष्य में भी इस प्रकार की निस्तारण कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

रिपोर्ट जनपद संभल

श्रीमान जी जनपद संभल से ऑपरेशनदहन के तहत अब तक विनिष्टीकरण किये गये मादक पदार्थो का विवरण निम्नवत है ।

क्र0स0	कुल अभियोग	कुल माल किग्रा0	अनुमानित मूल्य	विनिष्टीकरण का दिनांक
1	24	42	8628000	22.04.2026
2	15	91.280	9372500	15.05.2026
3	10	1015.24	20828600	28.05.2026
कुल	**49**	**1148.52**	**38829100**	-

प्रभारी नारकोटिक्स सैल
जनपद सम्भल ।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल।

पत्रांक: नारकोटिक्स- विनष्टीकरण-3 अनुपालन /2026 **दिनांक: मई, , 2026**

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
ए.एन.टी.एफ.,
उ0प्र0 लखनऊ।

कृपया विशेष पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डीजी-VII-ANTF(DDC)/2023/158 दिनांक: 27.05.2023 के द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ के अर्द्ध शासकीय परिपत्र संख्या डीजी-12/2017 दिनाँकः 20.05.2017 के अनुपालन में जनपद में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल व अन्य में पारित निर्णय दिनाँक: 28.01.2016 के क्रम में मादक पदार्थ के अधिग्रहण, भण्डारण, 'निस्तारण/ विनष्टीकरण तथा न्यायिक पर्यवेक्षण हेतु निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया है। जिसके द्वारा मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियत्रित पदार्थो तथा वाहनों के निस्तारण की कार्यवाही भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 802 दिनोंक 23.12.2022 भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड 1 में निहित "नारकोटिक्स ड्रग्स" और मनः प्रभावी प्रदार्थ (जब्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम-2022 द्वारा लागू किये गये उपबन्धों के अनुसार मादक पदार्थों के डिस्पोजल का कार्य कराया जा रहा है।

थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष बहजोई/चंदौसी/,ऐचौड़ ने अपनी आख्या दिनांकित अलग-अलग के माध्यम से एनडीपीएस एक्ट के माल जिनका संख्यात्मक विवरण निम्नवत है के अनुसार मालों की सूची जिनमें मा० न्यायालय से माल निस्तारण की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है, के मालों का डिस्पोजल किये जाने का अनुरोध किया है।

क्र0 सं0	जनपद	थाना	मालो की संख्या	डोडा	हेरोईन	स्मैक	चरस	अन्य	कुल योग
1	संभल	बहजोई	03	53 किग्रा0	-		-	-	**53 किग्रा0**
2		चदौसी	04	913.2 किग्रा0					**913.2 किग्रा0**
3		एचौड़ा	03	48.34 किग्रा0				.7 किग्रा0	**49.04 किग्रा0**
		कुल	10	1014.54 किग्रा0				.7 किग्रा0	**1015.24 किग्रा0**

अतः उपरोक्त सन्दर्भ में विशेष अभियान के अन्तर्गत 01 मार्च से 31 मई के मध्य मादक पदार्थो का निस्तारण/डिस्पोजल हेतु जनपद सम्भल से एनडीपीएस एक्ट के कुल 10 अभियोगों के मालों की सूची जिनमें माल निस्तारण की अनुमति मा०न्यायालय से प्राप्त हो चुकी है, संलग्न कर सादर सेवा में अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/अनुमति हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

20/5/26

पुलिस अधीक्षक,
जनपद सम्भल ।

प्रतिलिपि –

1. **श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।**
2. **श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद, को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।**

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–1

राज्य व्यापार कर विभाग

प्रेषक,

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर,
सचल दल चतुर्थ इकाई, मुरादाबाद ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद संभल ।

विषय- NCORD की जिला स्तरीय समिति की बैठक की सूचना के संबंध में ।

पत्रांक/ 49 /सहा0आयु0रा0क0स0द0 चतुर्थ ई0 मुरादाबाद/2025-26/दिनांक– **27.05.2026**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक 47/20-61 /आबकारी-2026/NCORD/बैठक दिनांक 27.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा दिनांक 29.05.2026 को आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलों में सुधार के मकैनिज्म को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या भेजे जाने के निर्देश दिये गये है । उक्त के क्रम में कार्यवत्त में उल्लिखित व्यापार कर (जी0एस0टी0) से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालनआख्या निम्नवत प्रेषित है –

इस इकाई द्वारा माह अप्रैल-2026 में 1120 वाहनों की जाँच की गई । जॉच में 14 वाहन दोषी पाए गए, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभिग्रहीत माल का मूल्य 28.85 लाख रूपये के सापेक्ष रू0 22.54 लाख का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया । वर्ष 2024-25 मे 324.2 लाख रूपये का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया, जबकि वर्ष 2025-26 मे 376.6 लाख रूपये का कर/अर्थदण्ड जमा किया गया । उक्त वाहनों में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नहीं था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया। भविष्य में यदि कोई मादक पादर्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

उपरोक्त अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित ।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर,
सचल दल चतुर्थ इकाई मुरादाबाद ।

संगत वर्ष 2025-2026

माह का नाम	जांच किये गये कुल वाहन	दोषी पाये गये वाहन	अभिग्रहीत माल का मूल्य	माह में जमा कर/अर्थदण्ड	जांच किये गये चिन्हित ट्रांस० के वाहन	चिन्हित ट्रांस०कं० के दोषी पाये गये वाहन	संवेदनशील वस्तुओ के जांच किये गए वाहनों की संख्या	स्कैन EWB की संख्या
Apr-25	1114	16	47.14	23.07	0	0	378	1689
May-25	1240	24	59.13	87.39	0	0	639	1858
Jun-25	1314	22	38.15	28.67	2	2	627	1643
Jul-25	1073	23	42.32	58.79	0	0	467	1407
Aug-25	1170	22	50.14	29.18	2	2	480	1535
Sep-25	1146	19	38.94	24.48	0	0	458	1524
Oct-25	1049	11	33.18	30.21	0	0	401	1464
Nov-25	1154	18	36.14	18.45	2	2	433	1543
Dec-25	1105	11	21.65	16.3	2	2	522	1316
Jan-26	1110	11	23.15	18.46	1	1	637	1409
Feb-26	1207	18	29.68	21	2	2	595	1467
Mar-26	1051	23	25.53	20.57	3	3	550	1250
TOTAL	**13733**	**218**	**445.15**	**376.57**	**14**	**14**	**6187**	**18105**

संगत वर्ष 2026-2027

माह का नाम	जांच किये गये कुल वाहन	दोषी पाये गये वाहन	अभिग्रहीत माल का मूल्य	माह में जमा कर/अर्थदण्ड	जांच किये गये चिन्हित ट्रांस० के वाहन	चिन्हित ट्रांस०कं० के दोषी पाये गये वाहन	संवेदनशील वस्तुओ के जांच किये गए वाहनों की संख्या	स्कैन EWB की संख्या
Apr-26	1120	14	28.85	22.54	0	0	537	1340
May-26								
Jun-26								
Jul-26								
Aug-26								
Sep-26								
Oct-26								
Nov-26								
Dec-26								
Jan-26								
Feb-26								
Mar-26								
TOTAL	**1120**	**14**	**28.85**	**22.54**	**0**	**0**	**537**	**1340**

कार्यालय- सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर,
सचल दल चतुर्थ इकाई, मुरादाबाद ।

माह- APRIL-2026 (धनराशि लाख रु0 में)

क्रम सं0	संवेदनशील वस्तु का नाम	मामलों की संख्या	जमा धनराशि
			00
1	Pan Masala	00	3.55
2	Iron & Steel	04	00
3	Supari	00	3.21
4	Wood & Timber	03	00
5	Edible Oils/ Vanspati Ghee	00	00
6	Readymade Garments	00	00
7	Cement	00	00
8	Paper	00	00
9	Coal	00	00
10	Mentha	00	00
11	Tobacco Product/ bidi	01	0.11
12	Grid and Sand	00	00
13	Marble and Tiles	00	00
14	footwear	00	00
15	BRICKS	00	00
	TOTAL	08	6.87

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर,
सचल दल चतुर्थ इकाई मुरादाबाद।

Apr-26							अभिग्रहण की कार्यवाही		(धनराशि लाख रूपये में)		
क्र0सं0	सचल दल इकाई का नाम	इन्टरसेप्शन दिनॉक	डिटेन वाहन का नम्बर	वस्तु का नाम	मूव-7 का दिनॉक	मूव-9 का दिनॉक	129(1)a	129(1)b	माल का मूल्य	जमा अर्थदण्ड की धनराशि	मूव-5 का दिनॉक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UNIT-4TH	03.04.2026	UP25BT9273	MS BARS	04.04.2026	04.04.2026	129(1)a		183000	65880	04.04.2026
2	UNIT-4TH	05.04.2026	UP20BT1250	WOOD	06.04.2026	06.04.2026	129(1)a		291400	104904	06.04.2026
3	UNIT-4TH	05.04.2026	UP21BQ7824	CEMENT TILES	06.04.2026	06.04.2026	129(1)a		38250	13770	06.04.2026
4	UNIT-4TH	05.04.2026	UP38AT6739	EUCALYPTIS	06.04.2026	06.04.2026		129(1)b	119408	140902	06.04.2026
5	UNIT-4TH	06.04.2026	UP20AT2707	OLD IRON SCRAP	08.04.2026	08.04.2026	129(1)a		142140	51170	08.04.2026
6	UNIT-4TH	12.04.2026	UP63AT9642	PARCHUN	16.04.2026	16.04.2026		129(1)b	46478	49716	16.04.2026
7	UNIT-4TH	12.04.2026	AR01S0651	PARCHUN	16.04.2026	16.04.2026		129(1)b	94100	100574	16.04.2026
8	UNIT-4TH	10.04.2026	UP20T6784	IRON SCRAP	17.04.2026	17.04.2026	129(1)a		611000	219960	17.04.2026
9	UNIT-4TH	10.04.2026	UP20T6784	IRON SCRAP	17.04.2026	17.04.2026		129(1)b	15000	17700	17.04.2026
10	UNIT-4TH	16.04.2026	DL08CAM1284	BIDI	20.04.2026	20.04.2026	129(1)a		29700	10972	20.04.2026
11	UNIT-4TH	18.04.2026	UP17AT7676	PARCHUN	24.04.2026	24.04.2026		129(1)b	330700	390226	24.04.2026
12	UNIT-4TH	23.04.2026	UP15FT7067	WOOD	25.04.2026	25.04.2026	129(1)a		214380	77177	25.04.2026
13	UNIT-4TH	24.04.2026	UP21FT6256	ALUMINIUM INGOTS	24.04.2026	24.04.2026		129(1)b	52200	61596	24.04.2026
14	UNIT-4TH	25.04.2026	UP38T1612	PARCHUN	28.04.2026	28.04.2026		129(1)b	717364	949612	28.04.2026
						TOTAL			2885120	2254159	

बिन्दु संख्या–1 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह अप्रैल 2026 में उक्त कार्यवाही के दौरान 558 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 95 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 6235.00 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	48	0

Excise Department

बिन्दु सं0–2

(क) जनपद में स्थित दवाइयों की दुकानों पर मनःप्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप की जॉच की जाये। यदि किसी दवाई की दुकान पर अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि पायी जाये तो अनाधिकृत मनः प्रभावी औषधि एवं प्रतिबन्धित कफ सिरप रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। सभी दवा की दुकानों, चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवाये जाये।

क.सं.	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

(ख) चिकित्सक द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाये।

क.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर की संख्या	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/औषधि निरीक्षक)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं0–2

औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्रांक एफएसडीए/ औनि/2026–27/22 दिनांक 29.05.2026 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जाँच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनः प्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जाये।

जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सएप ग्रुप एवं व्यक्तिगत रूप से बैठक कर मनः प्रभावी औषधि का विक्रय नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त **'एक युद्ध नशे के विरूद्ध'** एवं **'केवल प्रेस्क्रिप्शन पर दवाईयां'** के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थों की बिक्री पर निरन्तर रोकथाम की जा रही है। सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'एक युद्ध नशे के विरूद्ध' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर/पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुए अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी।

मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जा रही है। क्रय/विक्रय बिल में कमी पाये जाने की दशा में निरीक्षण करते हुये औषधियो के क्रय/विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है।

क.स.	जॉच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत/अवैध मनः प्रभावी औषधि रखने व बिक्री करने वालो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
1	07	विगत माह में किये गये निरीक्षणों में 07 फर्मों को कारण बताओं नोटिस , 02 फर्मों का निलम्बन व 01 लाइसेंस निरस्त करते हुए 04 फर्मों को चेतावनी आदेश सहायक आयुक्त (औषधि) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद द्वारा निर्गत किये गये।

प्रेषक,

औषधि निरीक्षक
सम्भल।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
जनपद सम्भल।

पत्रांक : एफएसडीए / औनि / 2026–27 / 22 दिनांक : 29.05.2026

विषयक : जिला स्तरीय समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक 288 / 11–55 / आबकारी / सम्भल / कार्यवृत्त दिनांक 31.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 18.03.2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित बिन्दुओं के निस्तारण के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है, उक्त के क्रम में आख्या निम्नवत् प्रेषित है–

बिन्दु संख्या 01– औषधि विभाग से सम्बन्धित नहीं।

बिन्दु संख्या 02– महोदय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जाये।

महोदय, यह भी अवगत कराना है कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सअप ग्रुप तथा व्यक्तिगत रूप से बैठक कर मनःप्रभावी औषधि का विक्रय नियमानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा 'एक युद्ध नशे के विरूद्ध', 'केवल प्रेस्क्रिप्शन पर दवाईयां' एवं 'मानस नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933' के बैनर प्रतिष्ठानों पर लगाकर नशीले पदार्थो की बिक्री पर निरन्तर रोकथाम की जा रही है।

सम्भल जनपद में निरन्तर सघन निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु निर्देशित कर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

'एक युद्ध नशे के विरूद्ध' अभियान के प्रति जागरूकता के अन्तर्गत जगभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस संदेश के बैनर / पोस्टर मेडिकल स्टोर्स पर लगवाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। इसी अभियान के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनमानस को इस अभियान के प्रति जागरूक करते हुये अभियान में सहयोग करने की अपील की गयी। इसके अतिरिक्त मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से औषधि विक्रेताओं के साथ मिलकर बैठक का आयोजन कर मनःप्रभावी औषधियां विक्रय न किये जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है

महोदय, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरन्तर मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जा रही हैं। क्रय / विक्रय बिल में कमी पाये जाने की दशा में निरीक्षण करते हुये औषधियों के क्रय / विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जा रही है। गत माह जनपद में किये गये निरीक्षण तथा उनके सापेक्ष कृत कार्यवाही निम्न प्रकार है–

क्रम सं०	जांच किये गये मेडिकल स्टोर्स की संख्या	अनाधिकृत / अवैध मनःप्रभावी औषधि रखने वालों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
01	07	विगत माह किये गये निरीक्षणों में 07 फर्मों को कारण बताओ नोटिस, 02 फर्मो का निलम्बन व 01 लाइसेंस निरस्त करते हुये 04 फर्मो को चेतावनी आदेश सहायक आयुक्त (औषधि), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा निर्गत किये गये।

बिन्दु संख्या 03– औषधि विभाग से सम्बन्धित नहीं।

बिन्दु संख्या 04– औषधि विभाग से सम्बन्धित नहीं।

बिन्दु संख्या 05– महोदय अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद सम्भल में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत की कार्यवाही को डीपीएमयू को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

भवदीय

औषधि निरीक्षक उ०प्र०
जनपद सम्भल

एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाएगी केमिस्ट एसोसिएशनः राहिल भारतीय

- प्रत्येक मेडिकल पर नशे के विरुद्ध पोस्टर लगाकर केमिस्ट बंधुओं को शपथ और संकल्प दिलाएंगे केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य

समाचार भारत मो0 शाहनवाज मंडल प्रभारी

नशा छोड़ें, जीवन को अपनाएँ
स्वस्थ समाज, सुरक्षित भविष्य बनाएँ
एक युद्ध नशे के विरूद्ध
मानस नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933
आइए हम सब मिलकर एक नशा मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दें। स्वस्थ एवं नशा मुक्त भारत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी एक पहल, कई जिंदगियाँ बचा सकती है।
शर्मा मेडिकोज़, तिरंगा मार्केट, सम्भल

केमिस्ट एसोसिएशन में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक मेडिकल पर नशे के विरुद्ध पोस्टर लगाने, किसी भी केमिस्ट पर नशीली दवाओं की बिक्री न करने शिड्यूल X H एवं H1 की दवाइयां केवल डॉक्टर की पर्ची पर देने का संकल्प और शपथ लेने देने का अभियान प्रारंभ करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से तय किया शर्मा मेडिकोज पर संपन्न हुई बैठक में केमिस्ट एसोसिएशन के कार्य अध्यक्ष राहिल भारतीय ने कहा कि शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। जिसके अनुसार नगर एवं ग्रामीण अंचल में केमिस्ट बंधुओं के साथ बैठक करके शासन प्रशासन की मंशा से अवगत कराया जाएगा। केमिस्ट एसोसिएशन के सुबोध पाल शाहनवाज आलम नसीम अतुल त्यागी प्रिय रत्न आर्य अनिल कुमार अग्रवाल हेमंत वार्ष्णेय अजय कुमार शर्मा अभिजीत पॉल श्यामशरण शर्मा आदि ने नगर के अनेक मेडिकल पर पहुंचकर मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 अंकित किया हुआ पोस्टर लगाया। केमिस्ट बंधुओं के साथ चर्चा करते हुए प्रशासन की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने का संकल्प लिया।

अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या–2 (ख)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सम्भल।

पत्रॉकः सी.एम.ओ. / नारकोटिक्स / औषधि / 2026–27 / 349 दिनॉक 06.05.26

अध्यक्ष,
आई0एम0ए0 सम्भल एवं चन्दौसी
जनपद सम्भल।

विषयः– नारकोटिक्स औषधियों के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय सम्भल के पत्रॉक 25 / 32–76 / आबकारी / सम्भल / कार्यवृत्त, दिनॉक 02 मई 2026 के क्रम मे दिनॉक 23.04.2026 को आयोजित स्वापक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में नीति विषयक मामलो मे सुधार के मकैनिज्म को विकसित किये जाने हेतु मासिक बैठक के कार्यवृत्त मे कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ड्रग / 8322 / लखनऊ दिनॉक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। चिकित्सको द्वारा मरीजो को दिये जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन में अधिकतम एक सप्ताह की दवाई लिखी जाए एवं दवा की दुकानों और चिकित्सालयों पर टोल फ्री नं. 1933 के पोस्टर लगवायें जाये।

उक्त का कडाई से पालन किया जाए।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

पत्रॉकः सी.एम.ओ. / नारकोटिक्स / औषधि / 2026–27 / तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल ।
2. जिला आबकारी अधिकारी, जनपद सम्भल।
3. जिला औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

प्रेषक,
नोडल अधिकारी(एन.सी.डी.),
जनपद सम्भल।

सेवा में,
जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद सम्भल।

पत्रांकः–एन.सी.डी. / तम्बाकू / COTPA Act / आख्या / 2026–27 / 350 **दिनांकः 06.05.26**

विषयः–COTPA Act के अन्तर्गत तम्बाकू कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपको अवगत कराना है कि हमारी टीम द्वारा जिला कलैक्ट्रेट परिसर बहजोई एवं अन्य जगहों का भ्रमण कर बीड़ी, सिगरेट एवं तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर छापा मारा गया जिसमें 7 चालान काटे गये एवं 120रु. का अर्थदण्ड बसूला गया।

आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

नोडल अधिकारी(एन.सी.डी.),
जनपद सम्भल।

नोडल अधिकारी (एन.सी.डी.)
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद - सम्भल।

बिन्दु सं0–3

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाऐं यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत **''एक युद्ध नशे के विरूद्ध''** का प्रचार–प्रसार किया जाय। सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों/कालेज/ मेडिकल कालेज /महाविद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नशा मुक्ति का प्रचार–प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशे के विरूद्ध जागरूक करेंगे। समस्त आबकारी निरीक्षक प्रत्येक 15 दिवस में कम से कम 01 हाई स्कूल/ इण्टरमिडिएट कालेज की प्रार्थना सभा में छात्रों को नशे के विरूद्ध जागरूक करेगे। सभी सम्बन्धित विभाग आयोजित कार्यक्रमों की फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रहमकुमारी संस्था)

क.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल		
2	इन्टरमिडिएट		
3	डिग्री कालेज		
4	अन्य		
	योग		

बिन्दु संख्या–3 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी सम्भल, गायत्री परिवार एवं ब्रहमकुमारी प्रजापति द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल	1302	158459
2	इन्टरमिडिएट	13	2824
3	डिग्री कालेज	07	200
4	अन्य	03	1450
	योग	1315	162933

अनुपालन आख्या–3 (प्रजापिता ब्रहमकुमारी)

प्रजापिता ब्रहमकुमारी द्वारा मऊ कटेहर, ग्राम इसमपुर एवं ग्राम पूरा में नशामुक्ति की प्रदशिनी लगाई गयी एवं ग्रामीणों को नशे के बारे में समझाया गया। उक्त प्रोग्रामों में लगभग 600 लोगो को नशे के प्रति जागरूक किया गया।

अनुपालन आख्या–3 (प्रजापिता ब्रहमकुमारी)

बिन्दु संख्या–4

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक ''बाल संसद'' एवं ''प्रहरी क्लब'' द्वारा अपने स्कूल/कालेज में ''एक युद्ध नशे के विरूद्ध'' आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यो का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप मे उपलब्ध कराये–

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	माह फरवरी 2026 में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			
	योग			

मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल को निर्देशित किया गया है कि COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत सम्बन्धित गठित समीति द्वारा एक अभियान चला कर कलेक्ट्रेट परिसर में पान, बीडी, सिग्रेट व अन्य मादक पदार्थो का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही कर अर्थदण्ड जमा कराया जाये। आगमी बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक /बेसिक शिक्षा अधिकारी, /मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल)

बिन्दु सख्ंया–4 की अनुपालन आख्या

COTPA (Cigarettes and Other Tabacco Products Act.) अधिनियम के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत ‘‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध‘‘ का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	माह मार्च 2026 में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों में प्रतिभाग/ शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद	1289	1289	156178
2	प्रहरी क्लब	1295	1295	156178
	योग	2584	2584	312356

प्रेषक,

नोडल अधिकारी(एन.सी.डी.),
जनपद सम्भल।

सेवा में,

जिला आबकारी अधिकारी,
जनपद सम्भल।

पत्रांकः–एन.सी.डी./तम्बाकू/COTPA Act/आख्या/2026–27/350 दिनांकः 06.05.26

विषयः–COTPA Act के अन्तर्गत तम्बाकू कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपको अवगत कराना है कि हमारी टीम द्वारा जिला कलैक्ट्रेट परिसर बहजोई एवं अन्य जगहों का भ्रमण कर बीड़ी, सिगरेट एवं तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर छापा मारा गया जिसमें 7 चालान काटे गये एवं 120रु. का अर्थदण्ड बसूला गया।

आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित।

नोडल अधिकारी(एन.सी.डी.),
जनपद सम्भल।

नोडल अधिकारी (एन.सी.डी.)
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद - सम्भल ।

बिन्दु सख्ंया–4 की अनुपालन आख्या

कालिज,चन्दौसी (सम्भल)

आदर्श इण्टर कॉलिज,चन्दौसी (सम्भल)

बिन्दु सं.–5

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये। डी.पी.एम.यू. सम्भल से एक प्रतिनिधि बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी डी.पी.एम.यू. द्वारा NCPCR द्वारा पुरस्कार दिये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार किये जाये।

(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल/ जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)

अनुपालन आख्या बिन्दु सं.–5

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

''एक युद्ध नशे के विरुद्ध''

''नशा मुक्त भारत अभियान''

''नशे को ना जीवन को हाँ''

NCORD